

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(5)न्याय/2021

जयपुर, दिनांक 09 MAR 2023

**::आज्ञा::**

विधि सेवा संवर्ग के निम्नांकित कार्मिकों को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

| क्र. सं. | नाम<br>(सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.) | विभाग का नाम                                  | परीक्षा जिसकी अनुमति चाही है                                  |
|----------|---------------------------------------|---|---|
| 1.       | सिमरन कोटवाल<br>कनिष्ठ विधि अधिकारी   | राजस्थान राज्य भण्डार<br>व्यवस्था निगम, जयपुर | Uttarakhand Judicial Services Civil Judge<br>Examination 2023 |
| 2.       | हर्ष यादव<br>कनिष्ठ विधि अधिकारी      | जिला कलक्टर,<br>कार्यालय जयपुर                | सिविल सेवा परीक्षा-2023                                       |

**शर्त:-**

1. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
3. उपरोक्त कार्मिक वर्तमान में इस विभाग के अधीनस्थ कार्यरत हैं तथा इनका चयन उक्त परीक्षा में होने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

  
(आशुतोष कुमावत)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
2. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव